



# दिल्ली विकास प्राधिकरण



(मुख्य योजना अनुभाग)

## सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार द्वारा 'दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास (टी.ओ.डी.)' की अधिसूचित नीति में 'संशोधन' करने का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में पारगमन उन्मुख विकास नीति के प्रस्तावित संशोधनों को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्-द्वारा पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की तिथि से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल [mpd2021.public@dda.org.in](mailto:mpd2021.public@dda.org.in) द्वारा भेज सकते हैं। अपनी टिप्पणियाँ/विचार/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

ड्राफ्ट नीति का पाठ संदर्भ के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

ह०/-

(डी. सरकार)

आयुक्त एवं सचिव,

दिल्ली विकास प्राधिकरण

फाइल सं: एफ.20(7)2015/एमपी

दिनांक: 13.01.2021

स्थान: नई दिल्ली

कृपया के डीडीए ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।